415

नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः- प.12(62)नविवि/2000 जयपुर, दिनांक

आदेश

नगर विकास न्यासों के लिये स्थानीय समझौता समितियों का गठन के लिये जारी इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 25.7.01 के बिन्दु सं. 2 में उक्त वर्णित स्थानीय समझौता समितियों में सदस्य के रूप में दो सदस्यों का राज्य सरकार के द्वारा मनोनयन का प्रावधान है। राज्य सरकार के द्वारा उक्त मनोनयन अभी नहीं किया गया है फलतः स्थानीय समितियों के द्वारा अभी कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने के कारण अधिसूचना के द्वारा अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके हैं।

अतः समझौता समितियों के कार्य संचालन में आने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना के बिन्दु संख्या 7(4) में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत यह आदेशित किया जाता है कि जब तक राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना की बिन्दु संख्या 2 में वर्णित दो सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार के द्वारा नहीं कर दिया जाता है वर्तमान में विद्यमान स्थानीय समितियाँ अधिसूचना दिनांक 25.7.01 में वर्णित कार्य करने के लिये अधिकृत होगी।

आज्ञा से

ह०

22.12-01

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. न्यायाधिपति श्री इन्दुसेन इसरानी, जे-54, कृष्णा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग।
4. श्री एन.रफीक, अति० महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त
6. जिला कलेक्टर
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज० जयपुर।
9. अध्यक्ष, समस्त नगर विकास न्यास।
10. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
11. रक्षित पत्रावली।

ह०

22.12.01

शासन उप सचिव

(273)